



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102025-266871
CG-DL-E-11102025-266871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]
No. 664]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

फा. सं. रा.के.वि.वि./आर/एफ.167/2025/1262.— केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की संविधि में संशोधन हेतु निम्नलिखित संविधि बनाती है, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन संविधियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु), 2025 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु) में,-

(i) संविधि में नामतः निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं –

मौजूदा संविधि 13 में संशोधन

मौजूदा संविधि में संशोधन का प्रस्ताव	
मौजूदा	संशोधित
अकादमिक परिषद में नामतः निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :	अकादमिक परिषद में नामतः निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :
<p>संविधि 13(1)(v): सभी अध्ययन स्कूलों को प्रतिनिधित्व देने के दृष्टिगत कुलपति द्वारा वरिष्ठताक्रम एवं आवर्तन के आधार पर नामित दस आचार्य (अध्ययन स्कूलों के अधिष्ठाता और विभागों / केंद्रों के अध्यक्षों को छोड़कर)</p> <p>संविधि 13(1)(vi): वरिष्ठताक्रम और आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे पांच सह आचार्य जो शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं।</p> <p>संविधि 13(1)(vii): वरिष्ठताक्रम और आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये तीन सहायक आचार्य</p>	<p>संविधि 13(1)(v): सभी अध्ययन स्कूलों को प्रतिनिधित्व देने के दृष्टिगत कुलपति द्वारा वरिष्ठताक्रम एवं आवर्तन के आधार पर नामित दस आचार्य (अध्ययन स्कूलों के अधिष्ठाता और विभागों / केंद्रों के अध्यक्षों को छोड़कर)</p> <p>संविधि 13(1)(vi): वरिष्ठताक्रम और आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे पांच सह आचार्य जो अध्ययन स्कूलों के अधिष्ठाता / शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं।</p> <p>संविधि 13(1)(vii): वरिष्ठताक्रम और आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये तीन सहायक आचार्य बशर्ते कि जो पहले से ही किसी भी क्षमता में सदस्य हैं, उनके नाम पर सूची समाप्त होने के बाद ही पुनः विचार किया जाएगा।</p>

नोट:- संविधि 11 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के साथ संलग्न अनुसूची के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र संख्या 25/2009 में दिनांक 20 मार्च, 2009 को प्रकाशित किया गया। संविधि 13 में संशोधन भारत के राजपत्र संख्या 42, 18-24 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित किया गया।

अमरदीप शर्मा, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./398/2025-26]

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

F. No. CURAJ/R/F.167/2025/1262.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of the Section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of Central University of Rajasthan with the approval of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend the Central University of Rajasthan Statutes, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes (for Central University of Rajasthan), 2025
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Universities' Statutes (for Central University of Rajasthan), -**
(i) the following Statute shall be amended, namely:-

AMENDMENT TO THE EXISTING STATUTE 13

PROPOSAL FOR AMENDMENTS TO THE EXISTING STATUTES	
Statute 13 – Academic Council: Members and Quorum	
Existing	After amendment
The Academic Council shall consists of the following members namely: Statute 13 (1) (v): 10 Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies & Heads of the Departments/Centre) on the basis of seniority and rotation to be nominated by the Vice Chancellor giving due regard to representation of different Schools. Statute 13 (1) (vi): Five Associate Professors who are not Head of Teaching Department by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor. Statute 13 (1) (vii): Three Assistant Professors by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor.	The Academic Council shall consists of the following members namely: Statute 13 (1) (v): 10 Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies & Heads of the Departments/Centre) on the basis of seniority and rotation to be nominated by the Vice Chancellor giving due regard to representation of different Schools. Statute 13 (1) (vi): Five Associate Professors who are not Deans of Schools/ Head of Teaching Department by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor. Statute 13 (1) (vii): Three Assistant Professors by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor. Provided that those who have already been member in any of the capacity will be considered again, only after exhausting the list.

Note:- The Statute 13 was published along with the Central Universities Act, 2009 as a Schedule annexed to that Act, which was published in the Gazette of India, No. 25 of 2009 dated 20th March 2009. Amendment in Statute 13 was published in Gazette of India No. 42, 18-24 October, 2014

AMARDEEP SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./398/2025-26]